कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, **E-mail: cffcpanchkula@gmail.com**

क्रमांक : प्रशा–डी–तीन–10371 / 767 दिनांक : 19/06/2023

सेवा में

उप–वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 0.1785 ha of forest land for access permission for transportation of Mining area at vilagel khanak under Forest Division and District Bhiwani, Haryana.
(Online Proposal No. FP/HR/Approach/146575/2021)

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 9-HRB129/2022-CHA दिनांक 26.05.2023 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी, भिवानी से प्राप्त सूचना आपको निम्नप्रकार से भेजी जाती है:–

1.	The dimensions of the proposed passage from 7.00 mtrs wide road has been proposed 20.5x85 mtrs, whereas in other such cases, the dimensions of such passages (entry/exit) are being considered by the State of Haryana are 6.00 mtrs, hence, revised passage (entry/exit) may be resubmitted accordingly. **इसमे पूछा कुछ गया है, और जबाब कुछ और भेजा गया है। राज्य सरकार सिर्फ प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त सूचना सीधे भेजने की वजाय, अपनी टिपण्णी, इस कार्यालय से पूछी गई स्पष्टीकरण से संबंध कर भेजे।**	वन मण्डल अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आमतौर पर किसी भी प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत केवल 6.00 अथवा 7.00 मीटर के दो रास्तों के बारे ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्ताव से सम्बन्धित भूमि (20.5 x 85 मीटर) की लोक निर्माण विभाग से वन विभाग को स्थानान्तरित होने के उपरान्त वन विभाग के नाम दिनांक 05.01.2022 को मुटेषन दर्ज हुई है। प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा यह भूमि पहले से प्रयोग में लाई जा रही थी। इस भूमि के वन विभाग को स्थानान्तरित होने के उपरान्त प्रयोक्ता ऐजैन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत 20.5 X 85 मीटर वन भूमि की गैर वानिकी उद्देष्यों के लिए मांग की गई है। लम्बी गाड़ियों के प्रयोग, खनन क्षेत्र में किसी दुर्घटना की स्थिति में जान माल की हानि को रोकने या कम करने के लिए एंबुलेंस के आवागमन तथा प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा 6.00 अथवा 7.00 मीटर के दो रास्तों के बजाए 20.5 मीटर चौड़े एक रास्ते की मांग की गई है जोकि उचित है।
2.	State Government has stated that proposed area comes under Section 4 of PLPA- 1900, whereas in the last para of reply for EDS dated 7.1.2023, it has been stated that the proposed project area does not falls under PLPA. **यदि , प्रस्तावित स्थल मे PLPA 1900 की सामान्य धारा 4 के तहत आता है, तो धारा 4 व 5 लागू कैसे नहीं होती है?**	वन मण्डल अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भिवानी जिले का खानक ब्लॉक, जहां पर यह प्रस्तावित भूमि स्थित है, पी.एल.पी.ए. 1900 की सामान्य धारा 4 के अन्तर्गत आता है। पी.एल.पी.ए. 1900 की सामान्य धारा 4 के अर्न्तगत बन्द क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पेडों की कटाई पर प्रतिबन्ध है। पी.एल.पी.ए. 1900 की Specific धारा 4/5 अथवा 4 और 5 में खसरा न0 सहित दर्ज/बन्द भूमियों को ही केवल वन भूमि माना गया है। इस प्रस्ताव में प्रस्तावित 20.5 x 85 मीटर भूमि को लोक निर्माण विभाग से वन विभाग को दिनांक 05.01.2022 को स्थानान्तरित होने के उपरान्त अवर्गीकृत वन भूमि माना गया है जिसके लिए प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

3.	This is a violation of FCA, 1980 case, no action has been initiated/taken by the State Government against the concerned official as per the provisions of FCA,1980. Hence, disciplinary action may be initiated against the erring official under FCA, 1980. **इस संबंध मे सूचित किया जाता है, की राज्य सरकार स्पष्ट रूप से बताए की FCA 1980 का उल्लंघन है कि नहीं। यदि उलँघन है, तो Guidelines के अनुच्छेद 1.21 के तहत कार्यवाई की रिपोर्ट (against State Official/User agency) के साथ पूरा विवरण भेजे और 22.3.2022 के पश्चात सभी violation के प्रस्ताव मे MoEFCC HO द्वारा निर्णय लिए जाने है। अतः penal provision MoEFCC HO द्वारा तय किए जाएंगे। तदनुसार, penal CA की राशि हटा कर FCA 1980 का उल्लंघन के बारे मे स्पष्ट सूचना इस कार्यालय को भेजे।**	वन मण्डल अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 05.01.2022 से वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के उपरान्त भी 20.5 x 85 मीटर वन भूमि का उपयोग गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा ऐसा करने के कारण वन सरंक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन किया गया है। विभाग द्वारा वन सरंक्षण अधिनियम 1980 की गाईड लाईन्स के अनुछेद 1.21 के तहत प्रयोक्ता ऐजेन्सी (Sh.Shashi Bhushan Koushik, Project manager HSIIDC Stone Mines, Khanak, Haryana) के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए Forest Offence Report जारी की गई है(प्रति संलग्न) तथा इसी तिथि से Penal CA की राशि प्रस्तावित की गई है।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज–I स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
हरियाणा, पंचकुला ।

15/6/23

15/6/23